पत्रावली वास्ते जवाब पेशकार सरकार दिनांक 31/08/2023 को पेश हो।

S.D.O.

31/08/2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अजर्दी पेशकार सरकार के न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पेशकार सरकार दिनांक 21/09/2023 को पेश हो।

SDO.

21/09/2023 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार रावतसर द्वारा पत्र एम/सीडर/रिजोर्ट/2023/540 दिनांक 10 अप्रैल 2023 से जवाब प्राप्त जो शामिल फा० है। जवाब की एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने आजकी बहस सुनाने का निवेदन किया। उभय पक्ष को सुना गया। प्रा०पत्र धारा-131 का०ले०रा०अ० व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रा०पत्र का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया जाए। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शा० दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:36:54 IST
Reason: SelfAttested